न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 2022/229

1. रतन लाल मीणा पुत्र श्री रामकिशोर मीणा जाति मीणा निवासी बीट्यावाली मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार(भू–धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

–रेस्पोंडेन्ट्स

2. प्रभूदयाल पुत्र भागीरथ जाति मीणा निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

–तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर दिनांक 05.10.2021 मुकदमा संख्या 3/2019

उपस्थित–

1. श्री शिवजन गिरी, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक –07.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 05.10.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 04.05.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के बाबत दुरूस्ती इन्द्राज व दुरूस्ती नक्शा विरूद्व रेस्पोडेन्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2021 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय दिनांक 05.10.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन कि अपीलान्ट ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा आराजी खसरा नम्बर 8751/8007 रकबा 0.18 हैक्टेयर वर्तमान अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम

संभागीय आयुक्त
जयपुर

क्रमशः हिस्सा 4/9, 5/9 दर्ज हाल है। खसरा नम्बर 8007/8515 रकबा 0.38 हैक्टेयर की खातेदारी साधूराम पुत्र दयाल जाति खटीक निवासी मनोहरपुर के साबिक आराजी खसरा नम्बर 4668/3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा दिनांक 07.06.1996 को आवंटित की गई थी। जिसका साबिक खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर 8007/8515/1 कायम किया गया जिसके अनुसार रकबा 0.38 हैक्टेयर पूर्व खातेदारी के नाम दर्ज रही है। नामान्तकरण संख्या 1400 दिनांक 22.09.1997 के आदेश में स्पष्ट अंकित किया कि नोट खातेदार को रकबा 0.03 बिस्वा का मुआवजा प्राप्त कर लिया पी.डब्ल्यू.डी भूमि छोडकर नक्शा तरमीम किया गया है पृष्ठ पर अंकित है तथा शेष भूमि 1 बीघा 7 बिस्वा खातेदार के शेष भूमि बची लेकिन सेटलमेन्ट की कार्यवाही में भूमि पी.डब्ल्यू.डी की कम नही किया गया तथा दिनांक 03.09.2010 को खसरा नम्बर 8007/8515 में 159 वर्गमीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 6 लेन में मुआवजा प्राप्त कर लिया यानि 0.02 हैक्टेयर भूमि कम करने पर खातेदार के 0.32 हैक्टेयर भूमि शेष रही परन्तु राजस्व कर्मचारियों की टंकन लिपिकीय त्रुटि के कारण रिकार्ड ऑफ राईट्स में रकबा 0.38 हैक्टेयर दर्ज रहा जिसे उक्त खातेदार ने घनश्याम शर्मा को बेचान कर दिया राजस्व कर्मचारियों ने गलत दर्ज रकबा अनुसार नक्शा में तरमीम कर दिया मौके के विपरित प्रार्थी का नक्शा दक्षिण दिशा में आबादी की ओर खिसका दिया जो खिलाफ कानून होने से काबिज दुरूस्ती हैं। दिनांक 05.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रकरण में मौके पर ही पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई पटवारी द्वारा गलत प्रस्तुत रिपोर्ट रकबा पी.डब्ल्यू. डी में 3 बिस्वा जमीन अवाप्त का हवाला न देकर गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया जो काबिले अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है। प्रकरण में आवंटन दिनांक 07.06.1966 को 1 बीघा 10 बिस्वा यानि 0.38 हैक्टेयर का आवंटन मूल आवंटी को हुआ उसमें से 3 बिस्वा भूमि पी.डब्ल्यू.डी ने अवाप्त किया जिसका मुआवजा आवंटी ने प्राप्त कर लिया तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 6 लेन में 0.02 हैक्टेयर भूमि अवाप्त होने पर वर्तमान में रकबा 0.32 हैक्टेयर शेष बची लेकिन जमाबन्दी में रकबा कम नही कर रेस्पोडेन्ट के खाते में 0.38 हैक्टेयर की तरमीम गलत रूप से नक्शे में कर दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड का अवलोकन न कर मात्र पटवारी की राजस्व कैम्प में ही रिपोर्ट प्राप्त कर जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया है जबकि नामान्तकरण संख्या 1400 में स्पष्ट आदेश था कि मौके पर 3 बिस्वा भूमि पी.डब्ल्यू.डी ने अवाप्त कर खातेदार को मुआवजा प्रदान किया जा चुका है, तथा नामान्तकरण जिल्द पर नक्शा दिया गया है उसी अनुसार रकबा कम करके नक्शा तैयार किया जावें। जिसको नजरअन्दाज कर गलत रूप से मूल खातेदार के रकबा कम नही कर अपीलान्ट के रकबा में तरमीम कर दी जो गलत होने से रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह कि खातेदार साधूराम के भूमि अवाप्ति के बावजूद राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रिकार्ड में रकबा पूर्व की भांति की पूरा का दर्ज रह गया तथा उक्त खातेदार ने दिनांक 03.09.2010 को खसरा नम्बर 8007/8515 में 159 वर्गमीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 6 लेन में जाने के बाद उक्त खातेदार के 0.32 हैक्टेयर भूमि शेष रही परन्तु राजस्व कर्मचारियों की टंकन लिपिकीय त्रुटि के कारण रिकार्ड ऑफ राईट्स में रकबा 0.38 हैक्टेयर दर्ज रहा। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन न कर निर्णय पारित किया गया जबकि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में सम्पूर्ण कागजात पेश किया गया था लेकिन अधीनस्थ ने मात्र पटवारी की रिपोर्ट को सही मानकर राजस्व कैम्प में जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया। यह कि वादग्रस्त भूमि पर पीढियों से अपीलान्ट/प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं आवंटी कभी भी उक्त भूमि पर काबिज नही रहे क्रेतागण गलत तरमीम के आधार पर विद्वान राजस्व एजेन्सी ने उन्हें आवंटित लाभ प्रदान करने की गरज से रकबा में कमी न कर गलत तरमीम कर दी जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया गया। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2021 को राजकीय पैरोकार को निर्देशित किया। प्रकरण में बिन्दुवार विस्तृत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे लेकिन अधिनस्थ न्यायालय में सरकार का जवाब ही प्रस्तुत नही किया गया, बिना जवाब के पत्रावली को दिनांक 05.10.2021 को कोई सूचना सुनवाई का अवसर प्रदान न कर निर्णय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होना अवगत कराया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कैम्प कोर्ट कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी दिनांक 26.04.2022 को वकील द्वारा दिनांक 26.04.2022 को दी गई। जिसकी नकल प्रार्थना प्रस्तुत किया तथा दिनांक 26.04.2022 को नकल प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत है। जिसे अन्दर शुमार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2021 निरस्त किया जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 राजकीय अधिवक्ता ने वकील का विरोध करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 05.10.2021 को प्रशासन गांवो के संग कैम्प मनोहरपुर में पेश हुई। प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 8751/8007 रकबा 0.18 हैक्टेयर वाके ग्राम मनोहरपुर में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। आराजी ख.नं. 8007/8515 रकबा 1.09 हैक्टेयर में से 8007/1 व 8007/2 कुल 0.1950 हैक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो चुकी है। आराजी ख.नं. 8007/8515 रकबा 1.09 हैक्टेयर में से 0.38 हैक्टेयर भूमि खातेदारी में दर्ज है तथा 0.3641 में बंजड काबिल चराई व आवासीय दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदत ख.नं. 8007/8515 में से 0.0159 हैक्टेयर भूमि NHAI में अवाप्त होने पर 0.3641 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी घनश्याम शर्मा वगैरह के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण में जांच करने पर पाया गया कि अप्रार्थी साधूराम पुत्र दयाल खटीक को खसरा नम्बर 8007/8515/1 रकबा 0.38 हैक्टेयर भूमि आंवटन का नामान्तकरण संख्या 1400 भरा जाकर 22.09.1997 को स्वीकृत होने पर खातेदारी दर्ज की गई थी। जिसके पश्चात उक्त आराजी में से 0.0159 हैक्टेयर भूमि छभ।प्में जाने से भोष रकबा 0.3641 रहता है जो अप्रार्थी के नाम ही दर्ज है इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के नाम दर्ज/आंवटित भूमि की रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 7940 व 8751/8007 के बीच में खसरा नम्बर 8007/8515 का कुछ हिस्सा गलत तरमीम होने का कोई साक्ष्य प्रकरण में नहीं पाया गया तथा न ही प्रार्थी इसे सिद्व कर पाया है जबकि अप्रार्थी को आंवटित भूमि में से जो रकबा छभ।प्में गया है वह अप्रार्थी की भूमि 0.0159 हैक्टेयर कम भी किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल.आर. एक्ट का योग्य तथा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व नक्शे में की गई त्रुटि/गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.10.2021 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है। यदि अपीलान्ट को विवादित भूमि में हिस्से परिवर्तन कराने हैं तो उन्हें प्रभावित खातेदारों को पक्षकार बनाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 89 के तहत सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना चाहिये था, जो नहीं कर धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2021 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं।

ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर दिनांक 05.10.2021 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर